3 जुलाई, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 78वीं बैठक का कार्यवृत्त

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की अठत्तरवीं (78वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 3 जुलाई, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा नंबर 143, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 78.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (12 प्रस्ताव)

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) पनोली औद्यागिक संपदा, जिला भरूच, गुजरात में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 जून, 2017 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एचबीएस फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 16 जून, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) से (ix) एजेंडा मद संख्या 78.1 (ii से ix) के अनुसार मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 8 एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड को बताया गया कि उपर्युक्त 8 एसईजेड में से 2 (क्रमांक 4 और 5) के संबंध में अनुमोदन बोर्ड द्वारा 19 मई 2015 को आयोजित अपनी 65वीं बैठक में 26 फरवरी 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के साथ मंजूरी प्रदान की गई थी कि विकासक महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उसे आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करेगा। इसके अलावा अनुमोदन बोर्ड ने पहले उपर्युक्त 8 एसईजेड में से 3 (क्रमांक 2, 3 और 6) के संबंध में औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जनवरी 2016 और 25 जनवरी 2016 तक इस शर्त के साथ बढ़ाई थी कि विकासक एसईजेड की स्पष्ट विकास योजना एवं कार्य योजना प्रस्तुत करेगा तथा इस समय सीमा के अंदर महाराष्ट्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करेगा। विकास आयुक्त, नवी मुंबई एसईजेड को इन एसईजेड के विकास के लिए विकासक द्वारा किए गए व्यय तथा जमीनी स्तर पर हुई प्रगति का सत्यापन करने का निदेश दिया गया। अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया गया कि पीएसी और सीएजी ने टिप्पणी की है कि महाराष्ट्र में मैसर्स नवी मुंबई के एसईजेड को नियमित विस्तार प्रदान किए गए, हालांकि विकासक ने अनुमोदन से जुड़ी शर्तों का पालन नहीं किया है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि न तो विकासक और न ही महाराष्ट्र सरकार ने ठोस विकास योजना प्रस्तुत की है। सूचित किया गया कि श्री संजय देगावंकर, संयुक्त सचिव, उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार से पत्र संख्या बीओए-2017/सीआर/इंड-2 दिनांक 30 जून 2017 प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने 8 एसईजेड की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए एनएमएसईजेड से आवेदन प्राप्त किया है, सिडको तथा एनएमएसईजेड कुछ विनियामक एवं प्रचालनात्मक मुद्दों का समाधान करने की प्रक्रिया में हैं। इस प्रक्रिया में कुछ और समय

लग सकता है और इसलिए मामले को आस्थगित कर दिया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुद्दा 2015 से लंबित है, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने महाराष्ट्र सरकार को विकासक के साथ प्रचालनात्मक एवं विनियामक मुद्दों का समाधान करने तथा उस समय तक अपने निर्णय के बारे में अनुमोदन बोर्ड को सूचित करने के लिए 30 अगस्त 2017 तक का समय देने का निर्णय लिया और ऐसा न होने पर एसईजेड अपने आप विमुक्त हो जाएंगे।

(x) कट्टिजेनहल्ली एवं वेंकटाला गांव, येलाहांका होबली, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जीओसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 17जून, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xi) ग्राम रहाका एवं निमोठ, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जुलाई, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 जुलाई, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xii) 5वां मील पत्थर, ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव - फरीदाबाद रोड, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 मई, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हरियाणा सरकार ने इस मामले में कानूनी राय जानने के लिए महाधिवक्ता से संपर्क किया था और इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया गया। पाया गया कि हरियाणा सरकार ने पत्र दिनांक 28 दिसंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया था कि हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री के आदेशों के अनुसार एसईजेड से संबंधित सभी कालातीत परमीशन 3 साल की न्यूनतम वैधता अवधि के साथ नए सिरे से बहाल किए जाएं ताकि सुनिश्चित हो सके कि परियोजना समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित हो। इसके अलावा पत्र दिनांक 7 मार्च 2017 के माध्यम से उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, हरियाणा सरकार ने विकासक से 7 दिन के अंदर अपने स्वयं के जोखिम एवं लागत पर एसईजेड परियोजना को लागू करने के लिए संशोधित वचन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा तथा ऐसा न होने पर तीन साल के विस्तार के लिए भारत सरकार की सिफारिश वापस ले जी जाएगी। उद्योग निदेशक ने पुष्टि की कि विकासक से वचन पत्र प्राप्त हो गया है। तथापि, इस मामले में महाधिवक्ता की राय प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुरोध किया कि प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया जाए। राज्य सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों पर इनपुट, यदि कोई हो, के लिए राज्य सरकार को 31 जुलाई 2017 तक का समय प्रदान किया।

मद संख्या 78.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (6 प्रस्ताव)

- एसईजेड नियमावली के नियम 18 (1) के अनुसार, अनुमोदन समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है।

- एसईजेड में यूनिटों के संबंध में मंजूरी पत्र **(**एलओपी**)** की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) द्वारा अभिशासित हैं।
- नियम 19 (4) यह कहता है कि एलओपी एक साल की अवधि के लिए वैध होगा। पहला परंतुक अधिक से अधिक दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा परंतुक विकास आयुक्त को एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है**,** परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- तीसरे वर्ष के बाद (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं) तथा चौथे वर्ष के बाद वैधता अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाती है।
- अनुमोदन बोर्ड एक बार में एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है।
- अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने की कोई समय सीमा नहीं है।

(i) 28 जून 2017 के बाद 28 जून 2018 तक एक साल की अवधि के लिए मंजूरी पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड में मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 जून, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) 30 मई 2018 के बाद 31 मई 2017 तक अनुमति पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स प्रेसीस्टैट आईटी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 मई, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) 28 जून 2017 के बाद 28 जून 2018 तक एक साल के लिए मंजूरी पत्र (एलओए) **की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए पुणे एमआईडीसी एसईजेड में मैसर्स केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 जून, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) 23 जून 2017 के बाद 23 जून 2018 तक एक और साल के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) **की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए जायडस फर्मास्युटिकल एसईजेड**, **मटोडा**, **अहमदाबाद में मैसर्स बायोमेडिकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 23 जून, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) तीन वर्षों के बाद 25 जून 2018 तक मंजूरी पत्र (एलओपी) **की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आस्पेन एसईजेड** (**पूर्व में सिनेफ्रा एसईजेड**) **पालिमर**, **नंदीकौर गांव**, **पादुबिद्री**, **उडुपी तालुक**, **कर्नाटक में मैसर्स ब्रिमेल्स रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जून, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) 07 जून 2017 के बाद 07 जून 2018 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए वीएसईजेड एसईजेड में मैसर्स डा. रेड्डीज लैबोरेटरीज का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 जून, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 78.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध (3 प्रस्ताव)

(i) सर्वे नंबर 107, ग्राम कोकापेट, कैंडिपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स जीएआर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स जीएआर एंड सन बिल्डर्स एलएलपी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 2.63 एकड़ के क्षेत्रफल में टावर 3 और टावर 4 (एसईजेड में कुल 4 टावर विकसित किए जा रहे हैं) के निर्माण, विकास, आंतरिक एवं बाहरी अवसंरचना के विकास में निवेश, पट्टा पर देने, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मैसर्स जीएआर एंड सन बिल्डर्स एलएलपी के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) सर्वे नंबर 141 और 142, ग्राम ननक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स बीएसआर बिल्डर्स एलएलपी द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फेलिक्स आईटी सोसाइटी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के विकास जैसे कि आंतरिक फिटिंग एवं सेवाएं, भवन के संपूर्ण विद्युतीकरण, एचवीएसी, फायर फाइटिंग सिस्टम तथा सभी इंटीरियर जैसे कि सिस्टम के अनुरूप निर्माण जिससे प्लग एंड प्ले की सुविधा प्राप्त होगी और 100 प्रतिशत पावर बैकअप, अबाध विद्युत आपूर्ति या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति प्रदान करने के लिए भी मैसर्स फेलिक्स आईटी सोसाइटी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की तथा सह विकासक विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन प्रचालन एवं अनुरक्षण करेगा परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iii) मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सुरक्षा, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, जल शोधन, वर्षा जल निकास एवं सीवेज निस्तारण, एचवीएसी सिस्टम, लैंड स्केपिंग एवं जल पिंड, हाउसकीपिंग सर्विस, परिवहन, पीएमसी सर्विस, प्रवेश नियंत्रण एवं निगरानी, रोड नेटवर्क, वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण, विज्ञापन एवं विपणन तथा अन्य परामर्श सेवाओं सहित साइट पर अवसंरचना के विकास, अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए तथा विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में अनुदेश संख्या 50 के अनुसार, एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन अन्य अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए मैसर्स रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 78.4 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (10 प्रस्ताव)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

*एसईजेड नियमावली 2006 में अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है तथा वेटिंग के लिए डीएलए को भेजा गया।

(i) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स एऑन एचआर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम टीकरी, सेक्टर 48, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स कैंडोर गुड़गांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।
viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(ii) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स मोल्डेक्स कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड जो सूरत एसईजेड में प्लाट नंबर 194 और 195 पर स्थापित यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।
viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(iii) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स कार्गिल बिजनेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(iv) साझेदारी विलेख एवं शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स आरबी इंडस्ट्रीज जो कोलकाता एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पार्टनरशिप तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(v) साझेदारी विलेख एवं शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स रीजेंट रोप्स जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पार्टनरशिप तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(vi) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स अकसासिया क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(vii) साझेदारी विलेख एवं शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स एरीज इंटरनेशनल जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पार्टनरशिप तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(viii) साझेदारी विलेख एवं शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स प्रसार एंटरप्राइजेड जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पार्टनरशिप तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(ix) नाम बदलकर मैसर्स ईआईटी सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स हेवलेट पैकर्ड प्राइवेट लिमिटेड जो चेन्नई में मैसर्स ट्रिल की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स हेवलेट पैकर्ड ग्लोबल साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स ईआईटी सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(x) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स कार्गिल बिजनेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

मद संख्या 78.5 : विविध मामले (8 प्रस्ताव)

(i) डीटीए यूनिटों द्वारा निर्मित गियर बॉक्स की यूनिटों की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग आदि के लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के लिए मैसर्स जेडएफ विंड पावर कोयंबटूर प्राइवेट लिमिटेड जो कोयंबटूर में मैसर्स एसपेन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कहा कि यह प्रस्ताव डीटीए संस्थाओं के लिए तीसरे पक्ष के गियर बाक्स से संबंधित इंजीनियरिंग, रिपेयरिंग की सेवाएं प्रदान करने से संबंधित है। यह पूर्ण इंजीनियरिंग, रिपेयरिंग सर्विस यूनिट के समान है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यूनिट पूर्ण सर्विस यूनिट स्थापित करना चाहती है तो वे इंजीनियरिंग, रिपेयरिंग सर्विस के लिए एक अलग यूनिट के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि लेखाओं में घालमेल न हो और नई सर्विस यूनिट द्वारा एनएफई के मापदंडों का अलग से पालन किया जाए।

(ii) एलओपी के नवीकरण के लिए प्लास्टिक के अपशिष्ट एवं स्क्रैप की रिसाइकलिंग का काम करने वाले मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स जो केएएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

(iii) अपने मुंद्रा पावर प्लांट को अपनी सहायक कंपनी अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड जो मुंद्रा में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा विकास आयुक्त, एपीएसईजेड को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि क्या साहूकारों का एनओसी उसी तरह प्राप्त किया गया है जिस तरह इसे नोट किया गया है कि एपीएसईजेड, मुंद्रा में मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड के साथ अन्य पावर प्लांट के प्रस्तावित अंतरण का कार्य ऋण की देयता के अंतरण के बगैर किया गया था।

(iv) एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 के तहत मैसर्स ईएस आनलाइन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मैसर्स ईबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो बंगलौर में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, के स्वामित्व का अंतरण

बताया गया कि यूनिटों के बाहर निकलने पर एसईजेड यूनिटों द्वारा परिसंपत्तियों के अंतरण के संबंध में एसईजेड नियमावली के नियम 74ए को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जानी चाहिए। तथापि, स्पष्ट किया गया कि 23 फरवरी 2016 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने कहा था कि नियम 74ए के प्रावधान ऐसी एसईजेड यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अंतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनती हैं और

एसईजेड यूनिट नाम में परिवर्तन, न्यायालय द्वारा अनुमोदित विलय / डिमर्जर, स्लंप सेल आदि के परिणामस्वरूप सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है तथा ऐसे अनुरोधों पर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। व्यवसाय अंतरण करार के मामलों में, जो सतत सरोकार आधार पर अधिग्रहणकर्ता को एसईजेड यूनिटों के अंतरण में परिणत होता है, अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर मेरिट के अनुसार प्रस्ताव के बारे में निर्णय लिया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्तमान प्रस्ताव व्यवसाय अंतरण करार के आधार पर एसईजेड यूनिटों की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अंतरण के लिए है, जिसमें इबे इंडिया (एसईजेड यूनिटों सहित) का साफ्टवेयर विकास व्यवसाय एसईजेड यूनिट से संबंधित सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं के साथ स्लंप सेल व्यवस्था के तहत सतत सरोकार आधार पर ईएस आनलाइन (इबे ग्रुप द्वारा स्थापित एक नई भारतीय संस्था) को अंतरित किया जाएगा। अत: प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के तहत शामिल है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) एसईजेड के 1.71 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को लौटाने के लिए मैसर्स टीएंडवी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो वल्लनचेरी गांव, गुडुवनचेरी, चेंगलपट्टू तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एस्टानिका आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड की 1.78 हेक्टेयर भूमि को लौटाने तथा अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए 3.56 हेक्टेयर भूमि अपने पास रखने के लिए मैसर्स टीएंडवी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(vi) 18.55900 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो ग्राम विलायत, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में रसायन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में भूमि की सन्निकटता बनाए रखने की शर्त के अधीन 18.55900 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स जुबलीयंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रस्ताव को एसईजेड में भूमि की सन्निकटता बने रहने के अधीन मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 125.724000 हेक्टेयर हो जाएगा।

(vii) यूनिट अनुमोदन समिति, एमईपीजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 जनवरी 2017 के विरुद्ध मैसर्स जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने उपयुक्त विषय पर 8 मार्च 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 75वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया तथा मैसर्स जोहो कार्पोरेशन की अपील दिनांक 4 फरवरी 2017 को अनुमत करने के अपने निर्णय को दोहराया।

(viii) नर्मदा परिक्रमा के तीर्थयात्रियों के लिए बोट बर्थ प्रदान करने के लिए दाहेज एसईजेड, जिला भड़ूच में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (पोर्ट एरिया) में लगभग 2500 वर्गमीटर भूमि के आवंटन की अनुमति के लिए मध्यम सिंचाई परियोजना प्रभाग, गुजरात सरकार, अंकलेश्वर का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एसईजेड भूमि (प्रवेश भूमि तथा प्रस्तावित बोट बर्थिंग की सुविधा के लिए भूमि) को विमुक्त किया जाए।

मद संख्या 78.6 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

एसईजेड नियमावली के नियम *6(2) (क)* के अनुसार, औपचारिक अनुमोदन तीन साल की अवधि के लिए वैध होता है तथा इस समय तक कम से कम *1* यूनिट द्वारा उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए तथा ऐसे उत्पादन के आरंभ होने की तिथि से एसईजेड क्रियाशील हो जाना चाहिए। इस नियम के परंतुक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रावधान है जिसके लिए विकासक संबंधित विकास आयुक्त को फार्म सी*1* में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा जो *15* दिन के अंदर इसे अपनी टिप्पणियों के साथ अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ऐसे सभी मंजूरी पत्रों को निरस्त करने का निर्णय लिया जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो गई है तथा विकासक ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड से संपर्क नहीं किया है। संबंधित राज्य सरकार को भी औपचारिक अनुमोदन के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त किसी छूट की वसूली के लिए सूचित किया जा सकता है।

मद संख्या 78.7 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (3 अपीलें)

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 25 मई, 2017 के विरुद्ध मैसर्स स्टेरिया इंडिया लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अपीलकर्ता को सुनने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने तीन यूनिटों के विलय को अनुमत करने के लिए अपील पर अनुकूल ढंग से इस शर्त के साथ विचार किया कि केवल सबसे पुरानी यूनिट के संदर्भ में आयकर लाभ प्राप्त किए जाएंगे। चूंकि ऐसे विलय के लिए एसईजेड नियमावली 2006 में कोई प्रावधान नहीं है इसलिए सिफारिश की गई कि माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की मंजूरी प्राप्त की जाए। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी सिफारिश की कि एसईजेड नियमावली की व्यापक रूप से समीक्षा की जाए और आवश्यक संशोधन किए जाएं।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 मई, 2017 के विरुद्ध मैसर्स ओनसीनेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अपीलकर्ता को सुनने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने शराब तथा बहुमूल्य / अर्ध बहुमूल्य धातुओं की वेयरहाउसिंग को छोड़कर अपील को स्वीकार कर लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि उद्यमी ट्रेडिंग और वेयरहाउसिंग के लिए अलग अलग यूनिट स्थापित करेगा।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति, केएएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2017 के विरुद्ध मैसर्स सुजान ऑयल एंड गैस इनफ्रा लाजिस्टिक जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अपीलकर्ता को सुनने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय का समर्थन करने का निर्णय लिया क्योंकि केवल स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज के माध्यम से उर्वरकों का आयात अनुमत है।

****